फैक्स/आज ही

संख्या -47/सीपी 96/84-2-2014-6(विविध)/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, वाला कदर रोड, लखनऊ ।

(3) अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 7 फरवरी,2014

विषय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-41/सीपी 43/84-2-2014-6(वि0)/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-51/रा-309/29-1-14-81 विविध/13, दिनांक 06 फरवरी, 2014 की अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग स्तर पर नामित नोडल अधिकारी की सूचना सहित चिन्हांकित लम्बित वादों की सूची जिन्हें प्रश्नगत लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, **आज ही विशेष वाहक द्वारा** खाद्य एवं रसद अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रति इस अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि खाद्य एवं रसद अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in